

UNIT OF GWALIOR SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
GWALIOR (M.P.)

TENDER
FOR
Molasses Transportation

CATTLE FEED FACTORY, SHIVPURI, DISTT. SHIVPURI
(M.P.)

Phones : 09406900751

Email:- cffshivpuri@gmail.com

GWALIOR SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT UNIT
CATTLE FEED FACTORY – SHIVPURI

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्य:— पशु आहार संयंत्र शिवपुरी में मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर (म.प्र.), कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला-गुना (म.प्र.) एवं जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रो.प्रो.सोसा.लिमि., खरगोन से पशु आहार संयंत्र शिवपुरी तक "ए" ग्रेड मोलासेस परिवहन की तीन वर्ष हेतु ई-निविदा।

निविदा प्रपत्र का मूल्य:— 500 रूपये।

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने
की दिनांक एवं समय :- दिनांक 05.01.2021
शाम 3.00 बजे तक

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र जमा करने
की दिनांक एवं समय :- दिनांक 05.01.2021
शाम 3.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक एवं समय :- दिनांक 06.01.2021
शाम 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र खोलने का स्थान :- ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ
कार्यालय गोले का मंदिर, ग्वालियर

ANNEXURE-1 :- निविदा शर्त

ANNEXURE-II :- अनुबंध

ANNEXURE-III :- Price Bid

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी जिला : शिवपुरी

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी जिला: शिवपुरी में पशु आहार उत्पादन में लगने वाले ए ग्रेड मोलासेस मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर , कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला-गुना (म.प्र.) एवं जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रो.प्रो.सोसा.लिमि., खरगोनसे पशु आहार संयंत्र शिवपुरी तक परिवहन की तीन वर्ष हेतु ऑन लाईन ई-निविदा www.mptenders.gov.in के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	EMD राशि	कार्य की समय सीमा
1.	ए ग्रेड मोलासेस परिवहन (नवलनगर बुरहानपुर , नारायणपुरा, गुना एवं जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रो.प्रो.सोसा.लिमि., खरगोन से पशु आहार संयंत्र शिवपुरी तक)	रु. 50000 / -	तीन वर्ष

: मोलासेस परिवहन निविदा शर्तः

1. महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र शिवपुरी परिवहन कार्य निर्धारित शर्तों के अनुसार परिवहनकर्ता से कराने हेतु अधिकृत है।
2. निविदा प्रपत्र रू. 500/— का ऑन लाइन भुगतान कर प्राप्त की जा सकेगा।
3. निविदा कर्ता को ऑनलाईन ई.एम.डी **Exempt** कर रू. 50000/—का डिमांड डाफ्ट ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ पशु आहार संयंत्र शिवपुरी के पक्ष में EMD के रूप में ऑनलाईन अपलोड करना होगा एवं डी.डी की मूल प्रति निर्धारित समयवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अथवा निविदाकार द्वारा ऑनलाईन ई.एम.डी राशि रूपये 50000/—का ऑनलाईन भुगतान भी किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में ऑनलाईन जमा की गई राशि ऑनलाईन वापस की जावेगी।
4. परिवहनकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर प्रथम की अमानत राशि को छोड़ कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि 90 दिवस में वापिस कर दी जावेगी।
6. परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।
7. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात् तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार मोलासेस की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।
8. परिवहनकर्ता को शक्कर कारखाने से प्राप्त एक्सार्ज गेट पास एवं अन्य संबंधित कागजात अनलॉडिंग के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
9. यह निविदा तीन वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषजनक होने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक—एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
10. परिवहनकर्ता द्वारा टेंकर में शक्कर कारखाने से जितनी मात्रा एवं गुणवत्ता का शीरा प्राप्त किया जावेगा उतनी ही मात्रा एवं गुणवत्ता का शीरा पशु आहार संयंत्र— शिवपुरी में सुपुर्द करना होगा।
शीरा “ए” ग्रेड की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी होने पर वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी।
11. परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात् परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
12. इनकम टैक्स व अन्य टैक्स की वसूली एवं सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टैक्स लगाने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।

13. परिवहनकर्ता द्वारा शीरा "ए" ग्रेड की आवंटित पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
14. परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के पश्चात टैंकर पशु आहार संयंत्र शिवपुरी के निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त की जावेगी तथा अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।
15. परिवहनकर्ता को टांजिंट बीमा पशु आहार संयंत्र-शिवपुरी के पक्ष में करवाना होगा। जिसके प्रीमियम का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जावेगा।
16. पशु आहार संयंत्र-शिवपुरी जिला शिवपुरी द्वारा GST टेक्स का भी नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
17. डिटेंशन चार्जस का भुगतान किसी भी परिस्थिति में परिवहनकर्ता को नहीं किया जावेगा।
18. अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही परिवहन दर में कमी/वृद्धि की जावेगी डीजल की दर दुग्ध संघ के पेट्रोल पम्प को आधार माना जावेगा। दर में कमी/वृद्धि गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी।

क्रमांक वाहन का प्रकार औसत प्रति लीटर

01

टैंकर,

04 कि.मी.

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर दर में वृद्धि नहीं की जावेगी।

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की परिवहन दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. वृद्धि/कमी की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

19. परिवहन ठेकेदार के सभी वाहन जिसमें मोलासेस परिवहन किया जाना है उन टैंकरों में G.P.S. लगा होना अनिवार्य है G.P.S. का ID एवं पासवर्ड संयंत्र कार्यालय में दिया जाना अनिवार्य है। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ANNEXURE-II

अनुबंध

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर तथा जिसे इसके उपरांत "मोलासेस परिवहन ठेकेदार" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, के मध्य मेसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर एवं कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला – गुना एवं जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रो.प्रो.सोसा.लिमि., खरगोन से पशु आहार संयंत्र शिवपुरी हेतु मोलासेस परिवहन हेतु किया जा रहा है।

1. ठेके की अवधि तीन वर्ष तक के लिये होगी। अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक –एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
2. सौजन्यवश प्रत्येक स्थान के लिये प्रतिदिन मोलासेस परिवहन हेतु लगने वाले खाली वाहनों की माँग के विषय में सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जा सकती है परन्तु मूलतः संयंत्र की जरूरत अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले टैंकरों की माँग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार का यह दावा की उसे बिना सूचित किये अन्य वाहन द्वारा कार्य कराया गया है, मान्य नहीं होगा।
3. परिवहन कार्य के लिये माँग प्राप्ति/सूचित करने के दिन अथवा दूसरे दिन संयंत्र को वाहन उपलब्ध कराने के निर्धारित समय तक निश्चित रूप से वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि उक्त समयवधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता एवं इस बाबद अन्य विकल्प द्वारा कार्य करवाया जाता है, तो इस बाबद अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से पुनः प्राप्त कर (रिकवर) की जायेगी तथा इस सम्बंध में सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संयंत्र बाध्य नहीं होगा।
4. साधारणतः संयंत्र में वाहन खाली करने का समय कार्य दिवस में प्राप्त 09:00 बजे सांयकाल 05:00 बजे तक रहता है, परन्तु सायं 4:00 बजे के बाद खाली करने के लिये आये भरे हुए वाहन का खाली करना अथवा न खाली करना प्रबंध के अधिकार में रहेगा।
5. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु प्रति सप्ताह अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में जिसमें क्रमांक दिनांक पता आदि उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. परिवहन ठेकेदार को उनके देयकों का भुगतान शिवपुरी/ग्वालियर स्थित कारखाने से रेखांकित धनादेश (चैक)/RTGS द्वारा किया जावेगा।
8. नियमानुसार आयकर आदि का कटौती परिवहन देयकों से काटा जावेगा। 6

9. परिवहन करते समय मार्ग में किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान, मोलासेस लीकेज होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
10. लोडिंग अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
11. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिए। यदि वाहन ड्रायवर की असावधानी से संयंत्र की जान-माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
13. उपरोक्त शर्तों के अलावा महाप्रबंधक द्वारा समय-समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/ आदेश दिये जावेंगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।
14. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंध दर में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी वृद्धि की गणना पशु आहार संयंत्र से गन्तव्य स्थान तक जाने की दूरी के आधार पर कमी/वृद्धि की दिनांक से की जावेगी।
15. परिवहन ठेकेदार के सभी वाहन जिसमें मोलासेस परिवहन किया जाना है उन टैंकरों में G.P.S. का ID का एवं पासवर्ड संयंत्र कार्यालय में दिया जाना अनिवार्य है। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. अनुबंध की शर्तों में परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार प्रबंध को होगा। इस अनुबंध पर आज दिनांक को उभय पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर ग्वालियर कार्यालय में हस्ताक्षर किये हैं, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक से तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।
17. ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को अधिनिर्णयार्थ अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को सौंपा जावेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अंतिम होगा।
18. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा यदि जी.एस.टी. का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है ऐसी स्थिति में भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर जी.एस.टी. मद में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी।

19. संघ द्वारा उल्लेखित शर्तों का दृढ़ता के साथ परिवहन करना अति आवश्यक रहेगा। यदि अनुबंधकर्ता शर्तों का परिपालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण दर्शाये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

हस्ताक्षर
परिवहनकर्ता ठेकेदार

ग्वाह
1) हस्ताक्षर

1) हस्ताक्षर

नाम.....
पिता.....
पता.....
.....

नाम.....
पिता.....
पता.....
.....

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

EMD Form Envelop- A

लिफाफाA

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
तीन वर्ष हेतु मोलासेस परिवहन
ई-निविदा

EMD

निविदाकार का नाम

अमानत राशि

डाफ्ट संख्या

बैंक का नाम

दिनांक

After online submission of this form, physically submit this form in sealed envelope marked "Envelop-A" alongwith EMD instrument

तकनीकी प्रपत्र
Technical Bid Envelop- B
पशु आहार संयंत्र शिवपुरी
तीन वर्ष हेतु मोलासेस परिवहन
ई-निविदा

1 निविदाकार का नाम :	
2 निविदाकार का पता :	
अ. पंजीकृत कार्यालय:	
ब. पता:	
स. दूरभाष क्रमांक:	
द. ई-मेल नम्बर :	
3 अधिकृत व्यक्ति का नाम :	
4. पैन नम्बर	
5. जी.एस.टी. नम्बर	

After online submission of this form, physically submit this form in sealed envelope marked "Envelop- B" alongwith copy of documents before opening of bid.

ANNEXURE-III

<p>(ब)</p> <p>पशु आहार संयंत्र-शिवपुरी</p> <p>दर प्रपत्र</p> <p>Price Bid Envelop-C</p> <p>तीन वर्ष हेतु मोलासेस परिवहन ई-निविदा</p>			
क्र.	स्थान	दर (रूपय प्रति मैटिक टन)	
		अंको	शब्दों में

1.	मैसर्स नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर बुरहानपुर से पशु आहार संयंत्र-शिवपुरी हेतु मोलासेस परिवहन दर		
2.	मैसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला-गुनासे पशु आहार संयंत्र- शिवपुरी हेतु मोलासेस परिवहन दर		
3.	मैसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रो. प्रो.सोसा.लिमि., खरगोन से पशु आहार संयंत्र शिवपुरी हेतु मोलासेस परिवहन दर		